दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 01-07-2025

# रिव्यू लिखने के नाम पर 1.10 लाख ठगे, अग्रिम जमानत नहीं

## सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला, टेलीग्राम लिंक से की ठगी

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

ऑनलाइन ठगी के एक मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी पर सह-आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ित से गूगल रिव्यू और टेलीग्राम लिंक के माध्यम से 1.10 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

सिटी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने थाने में शिकायत की। बताया कि 18 अक्टूबर 2024 को उसे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से मैसेज आया, जिसमें गूगल मैप पर रिव्यू देने के लिए कहा गया, इसके एवज में रकम देने का वादा किया गया। शिकायतकर्ता ने उसके बताए अनुसार काम किया, इसके बाद उसे टेलीग्राम पर एक लिंक भेजा गया, जिसे खोलने पर एक हजार रुपए जमा करने को कहा गया। इसके बाद फॉर्म्स बीट नाम के एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया और उसे क्रिप्टो लिंक में शामिल कराया गया। कुछ ही समय में उसके बैंक खाते से 12 हजार रुपए कट गए। पूछताछ करने पर आरोपी ने 23 हजार रुपए वापस करने का झांसा देकर 50 हजार रुपए और ठग लिए। इस तरह कुल 1 लाख 10 हजार रुपए अलग-अलग किस्तों में निकाल ली गई। जांच में पता चला कि आरोपी मन्नू चौक, टिकरा पारा निवासी मंशु गुप्ता सह आरोपियों के बैंक खातों का संचालन कर रहा था। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 318(4), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। संभावित गिरफ्तारी से बचने आरोपी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। राज्य सरकार की तरफ से विरोध करते हुए बताया गया कि आरोपी ने विवेचना में कोई सहयोग नहीं किया है और फरार चल रहा है। उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने लवेश बनाम एनसीटी दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा मामलों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।